

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज <u>चन्नी देवी</u> बनाम <u>इमार शक्ति वगै</u> मु.न.-24/22 किस्म <u>(अका) T.2.</u></p>
	<p><u>26.12.25</u> अतिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8.01.26 को पेश हो। (श)</p> <p><u>08.01.26</u> आतिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-01-26 को पेश हो। (श)</p> <p><u>10.2.26</u> अतिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.2.26 को पेश हो। (श)</p> <p><u>19-2-26</u> अतिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 05-3-26 को पेश हो। (श)</p> <p><u>5.3.26</u> आतिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06.3.26 को पेश हो। (श)</p> <p><u>06.03.26</u> आतिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10.03.26 को पेश हो। (श)</p> <p><u>10.3.26</u> पत्रावली पेश हुई जरील प्रार्थ</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी
हुए

..... बनाम
चण्डी देवी दशरथ सिंह

मु.नं.- 24/22

किस्म - इन्फ ट.ड.

अपस्थित / प्र.पत्रा 1-2 पर वकील प्रार्थी की
बहस सुनी गई / वहल का मनन किया / पत्रावली
का एवं पत्रावली बद उपलब्ध दफ्तरकेवात का
अवलोकन किया / प्रार्थीया का प्र.पत्रा अर्न्त
धारा 212 राजस्थान शासकरी अधिनियम
1955 अस्वीकार किया जाकर विरतुत निर्णय
पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया
गया / पत्रावली फलल शुभार होकर मूल वाद
के साथ मल्थी हो /

उपखण्ड आधेकारी
मण्डावर (दौसा)